राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्याः– 11/2023

(अपील संख्या :– 3363/2021)

जगदीश प्रसाद

–प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव सह आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
5. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर जरिये सचिव।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.07.2023

आदेश की दिनांक : 04.07.2023

उपस्थित –

प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई कि अपील संख्या 3363/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2023 में पुनर्विचार करे। अपीलार्थी के ज्ञान में नये तथ्य सामने आये हैं, जो निम्नानुसार है। अपीलार्थी को वर्ष 2005–06 की रिक्ति के विरूद्ध उप परिवहन आयुक्त के पद पर आदेश दिनांक 15.07.2005 (अनुलग्नक–2) को पदोन्नति दी गई, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक

16.07.2005 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी द्वारा उप परिवहन उपायुक्त के पद पर दिनांक 01.04.2010 को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.10.2013 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध संयुक्त परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया। उल्लेखनीय है कि उप (आरटीओ) परिवहन आयुक्त एवं अपर आयुक्त परिवहन के मध्य संयुक्त आयुक्त का पद अधिसूचना दिनांक 19.09.2013 द्वारा सृजित किया गया था। प्रथम बार दिनांक 19.09.2013 को ज्ञात हुआ कि संयुक्त आयुक्त के पद का 05 वर्ष का अनुभव वर्ष 2015–16 तक अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु नहीं था। प्रश्न यह है कि अतिरिक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु नियमों की अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 को जारी हुई थी, जिसमें अंकित किया गया है कि 05 वर्ष का संयुक्त आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का अनुभव अथवा संयुक्त परिवहन आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उप परिवहन आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक परिवहन आयुक्त एवं अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं वरिष्ठ जिला परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन के पदों पर कुल 25 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया था।

2. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 01.11.2015 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया (अनुलग्नक–1)। उक्त वर्ष में 05 पद रिक्त थे, जिसमें अपीलार्थी का नाम जोन ऑफ कन्सीडेरेशन में था। परन्तु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विभागीय अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 में संयुक्त आयुक्त कम क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद का 05 वर्ष का अनुभव न मानते हुए परिवहन सेवा में 25 वर्ष का अनुभव को मानते हुए अपीलार्थी की कुल 21 वर्ष की सेवा मानते हुए अपीलार्थी का चयन नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध अपर परिवहन आयुक्त के पद पर संयुक्त परिवहन आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का 05 वर्ष का अनुभव पूर्ण होने पर वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति दिये जाने हेतु माननीय अधिकरण में अपील दायर की गई थी। माननीय अधिकरण द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2023 द्वारा अपीलार्थी को अपर परिवहन आयुक्त के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति चाहे जाने के कारण अनुभव पूर्ण

नहीं होने के कारण अपीलार्थी की अपील खारिज की गई थी। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2013—14 की रिक्ति के विरूद्ध अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति नहीं चाही गई थी, जिस पर विचार किया जाना आवश्यक था। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2015—16 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति चाही गई थी। अपीलार्थी को संयुक्त परिवहन आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद का 10 वर्ष का अनुभव है। अतः अपीलार्थी वर्ष 2015—16 की रिक्ति के विरूद्ध अपर परिवहन आयुक्त के पद का पदोन्नति का हकदार है। प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3444/2023 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2023 में अपीलार्थी की एसीआर दिनांक 01.04.2005 से 16.12.2005 में विभाग द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल प्रविष्टि को अपास्त कर दिया। इस प्रकार अपीलार्थी के अग्रिम पद पर पदोन्नति हेतु उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि का कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, फिर भी अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3363/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2023 को रिव्यू किया जाकर अपीलार्थी को अपर परिवहन आयुक्त के पद पर वर्ष 2015—16 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति दिये जाने के निर्देश प्रत्यर्थी विभाग को दिये जावें।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि विभाग द्वारा जो दिनांक 01.11.2015 को डीपीसी की गई है, वह नियमानुसार एवं सक्षम स्तर पर की गई है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायसंगत नहीं है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3363/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2023 द्वारा अपीलार्थी को अपर परिवहन आयुक्त के पद पर वर्ष 2013—14 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण अपीलार्थी की अपील

खारिज की गई थी। तदुपरान्त अपीलार्थी द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी और स्वीकार किया गया। उक्त अपील में अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति नहीं चाही गई थी, बल्कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा अपील में भी वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति दिये जाने की प्रार्थना की गई थी। परंतु अपीलार्थी के नाम पर विभाग द्वारा उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को अपर परिवहन आयुक्त के पद पर रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नत प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3444 / 2023 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2023 में अपीलार्थी की एसीआर दिनांक 01.04.2005 से 16.12.2005 में विभाग द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल प्रविष्टि को भी अपास्त कर दिया और अनुलग्नक–1 के पेज संख्या 16 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी *''श्री जगदीश प्रसाद नियमों में संशोधन होने के पश्चात् हुई डीपीसी वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में पात्र माना गया था लेकिन पदोन्नत नहीं हो पाए थे। इसलिए इस वर्ष (2015–16) भी इन्हें पात्रता सूची में रखने पर विचार किया जा सकता है।''*

6. पृष्ठ संख्या 19 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 01.11.2015 को विभाग द्वारा अपर परिवहन आयुक्त के पद के लिए डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें पृष्ठ संख्या 20 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि *''उक्त रिक्त पांच पदों हेतु 15 राजसेवकों का विचारण जोन बनता है, परंतु संयुक्त परिवहन आयुक्त के पद पर वर्तमान में केवल मात्र पांच पात्र अधिकारी उपलब्ध होने से विचारण जोन निम्नानुसार हैं''* और इसी क्रम में पेज संख्या 21 पर यह भी अंकित किया गया है कि *''अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के पात्र एवं योग्य राज्य सेवक उपलब्ध नहीं होने के कारण एक–एक पद रिक्त रखे गए।''* जिसमें क्रम संख्या 4 पर अपीलार्थी का नाम श्री जगदीश प्रसाद (अ.जा.) भी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु अंकित किया गया है और इससे स्पष्ट है कि एक पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिक्त रखा गया है। जबकि अपीलार्थी अनुसूचित

जाति वर्ग से है। राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 जिसमें निम्नलिखित उल्लेखित किया गया है :–

"SCHEDULE-I

S. NO.	*Name of Post*	*Method of recruitment with percentage*	*Minimum qualification for direct recruitment*	*Post from which promotion is to be made*	*Qualification and experience for promotion*	*Remarks*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	*Additional Transport Commissioner cum Regional Transport Officer*	*100% by promotion*	*---*	*Joint Transport Commissioner cum Regional Transport Officer*	*5 years experience on the post mentioned in column 5 or 25 years combined experience on the posts of Joint Transport Commissioner cum Regional Transport Officer Deputy Transport Commissioner cum Regional Transport Officer, Assistant Transport Commissioner cum Addl. Regional Transport Officer cum Senior District Transport Officer and District Transport Officer"*	

इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार अपीलार्थी को अपर परिवहन आयुक्त के पद हेतु 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। जबकि अपीलार्थी 5 वर्ष से भी अधिक का अनुभव रखता है, जो निम्न प्रकार है :–

(i) अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2005–06 के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 15.07.2005 के द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। (ii) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.09.2013 के द्वारा संयुक्त परिवहन आयुक्त के 11 नये पद सृजित किए गए हैं, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.10.2013 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध संयुक्त परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। तत्पश्चात् अपीलार्थी दिनांक 30.11.2015 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी संयुक्त परिवहन आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद का कुल 10 वर्ष का अनुभव रखता है। विभाग द्वारा उपाबंध–1 के परिशिष्ठ–घ में भी वर्ष 2015–16 में अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति

हेतु विचारण सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम भी अंकित है, जिसमें 01 अप्रेल 2015 को प्राप्त अनुभव संयुक्त परिवहन आयुक्त एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद पर नियुक्ति दिनांक से 10 वर्ष का अनुभव उल्लेखित किया गया है। जबकि उक्त अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के शेड्यूल–I के अनुसार अपर परिवहन आयुक्त पद के लिए 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। इस प्रकार अपीलार्थी अपर परिवहन आयुक्त के पद पर रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध उक्त अधिसूचना अनुसार पदोन्नति हेतु 5 वर्ष से भी अधिक अवधि का अनुभव रखता है। अतः हमारे मत में अपीलार्थी को अपर परिवहन आयुक्त के पद पर रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान नहीं किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए उक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पूर्व में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 01.11.2015 का पुनर्विलोकन (रिव्यू) किया जाकर अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावें एवं समस्त पारिणामिक एवं पेंशन परिलाभ आदि नियमानुसार प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से प्रत्यर्थी विभाग 2 माह में सुनिश्चित करे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य